न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

जयराम बनाम [illegible] वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा प्र.नं. - 702/2017
15-12-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। साक्ष्य प्रतिवादी में कोई गवाह उपस्थित नहीं। वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य प्रतिवादी हेतु अवसर चाहा। पूर्व में काफी अवसर दिये जा चुके हैं। इस कारण साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाती है। पत्रावली वास्ते आवश्यक रूप से बहस अन्तिम दिनांक 19-12-2023 को पेश हो। दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
19.12.23	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण की अंतिम बहस बहुपक्षीय सुनी जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। [illegible] में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली [illegible]कर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 19/12/23 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
702/2017	2017/01496	04.11.2010	19.12.2023

उनवान

1. जयरामसिंह पुत्र श्री लादूसिंह
2. **हनुमानसिंह पुत्र श्री लादूसिंह मृतक के बजाय :-**
   - 2/1 गजेन्द्र सिंह पुत्र हनुमानसिंह
   - 2/2 विजेन्द्र सिंह पुत्र हनुमानसिंह
   - 2/3 बीना कुमारी पुत्री हनुमानसिंह
   - 2/4 रामकंवर पत्नि हनुमानसिंह
3. उगम सिंह पुत्र श्री लादूसिंह
4. दीपसिंह पुत्र श्री लादूसिंह
5. दातारसिंह पुत्र श्री लादूसिंह
6. दशरथसिंह पुत्र श्री लादूसिंह
7. सोहनसिंह पुत्र श्री स्वरूपसिंह पौत्र श्री लादूसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

----वादीगण

बनाम्

1. ओमसिंह पुत्र नारायणसिंह
2. **मु. शांति कवंर बेवा श्री नारायणसिंह मृतक के बजाय :-**
   - 2/1 धन्नू कवंर पुत्री शांति कवंर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:11 IST
Reason: SelfAttested

19/12/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

3. हरिसिंह पुत्र श्री स्वरूपसिंह पौत्र श्री लादूसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर
जिला सीकर (राज0)

4. भूमिधारक तहसीलदार श्रीमाधोपुर

5. पटवारी हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर

6. सबरजिस्ट्रार उपतहसील खण्डेला जिला सीकर (नाम हजफ)

7. सबरजिस्ट्रार तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (नाम हजफ)

8. सबरजिस्ट्रार उपतहसील पलसाना जिला सीकर (नाम हजफ)

9. सबरजिस्ट्रार दांतारामगढ़ जिला सीकर (नाम हजफ)

10. सबरजिस्ट्रार तहसील सीकर (नाम हजफ)

11. सबरजिस्ट्रार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (नाम हजफ)

12. सबरजिस्ट्रार तहसील फतेहपुर जिला सीकर (नाम हजफ)

13. सबरजिस्ट्रार तहसील श्रीमाधोपुर

14. रजिस्ट्रार जिला कलैक्टर सीकर (राज0) (नाम हजफ़)

15. सबरजिस्ट्रार अजीतगढ़ जिला सीकर

16. नायब तहसीलदार अजीतगढ़ जिला सीकर

-----प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरुका एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री विक्रम सिंह बांकावत एड0 प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार प्रतिवादी नम्बर 4 तहसीलदार श्रीमाधोपुर की और से।

दावा बाबत ईस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

Signature Not Verified

(अन्तर्गत [illegible], 188 आर.टी.एक्ट.)

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:11 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 14 के विरूद्ध एक दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.11.10 को प्रस्तुत किया कि वादपत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि पुराने खसरा नम्बर 638 रकबा 16 बीघा सुविदित रखालो तन् हाथीदेह पटवार हल्का हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसकी खातेदारी फतेहसिंह, गणेशसिंह पुत्रगण सुखसिंह के नाम से प्रथम सेटलमेन्ट के समय दर्ज हुयी थी एवम् इस खसरा नम्बर के रिसेटलमेन्ट 1980-82 में नये खसरा नम्बर 1216 रकबा 3.52 हैक्टर व 1259 रकबा 0.72 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 4.24 हैक्टर तन् हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान दर्ज किये गये है। खातेदार फतेहसिंह का देहान्त करीब संवत् 2016-2017 में हो गया एवम् उसके कोई जायन्दा सन्तान नही थी, इस कारण उसका देहान्त होने पर भूमि खसरा नम्बर 638 का खातेदार अकेला गणेशसिंह हो गया, जो उसका भाई था और गणेशसिंह को घरेलू काम के लिए रूपयो की आवश्यकता थी, इसलिए उसने वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 के पिता व दादा लादूसिंह से 340/-रूपये रोकडी लेकर इस भूमि पर कब्जा लादूसिंह का पौष बुद्धी तीज संवत् 2018 को करवा दिया एवं तब से इस भूमि पर वादीगण व वादीगण का पिता व प्रतिवादी नम्बर 3 बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। गिरदावरी भी वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 के पिता व दादा के नाम से संवत् 2027 की दर्ज की हुयी है एवं गिरदावरी संवत् 2033 भी वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 व इनके [illegible] के नाम से दर्ज है। लगान भी वादी जयरामसिंह ने जमा करवाया है [illegible] अभी भी जयरामसिंह के पास है। जो पेश की जा रही है। गणेशसिंह [illegible] भी देहानत संवत् 2019 में हो गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:11 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 19/12/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

था। उसके भी कोई सन्तान नही थी। इस कारण विरासत के अनुसार उसके परिवार का वारिस नारायणसिंह पिता व पति प्रतिवादी नम्बर 1, 2 के नाम से दर्ज कर दी गयी व कब्जा वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 एवं इनके पिता/दादा मृत्तक लादूसिंह का चला आ रहा था व है। वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 उनके बुजुर्गान 49 वर्ष से विवादग्रस्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है एवम् प्रति कब्जा के आधार पर वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 विवादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके है एवम् इस भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम से दर्ज कराने के अधिकारी है। खातेदार नारायणसिंह का भी देहान्त हो चुका है एवम् उसके उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 है। विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही होने से वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 को काफी हकतल्फी है व इनके कानूनी अधिकारो पर भी विपरीत असर पड़ता है एवम् राज्य सरकार के द्वारा खातेदारो को जो सुविधाएं दी जाती है, उनसे भी इनको वंचित रहना पड़ता है। वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 ने विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी अपने नाम से दर्ज कराने हेतू प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 को कहा तो वे हां करते रहे और टालते रहे, परन्तु भूमियो की बढ़ती हुयी कीमते देखकर प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के मन में बेईमानी आ गयी व दिनांक 25.06.2010 को इन्कार कर दिया व वादीगण को खुली धमकी दी की वे वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 को विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करेंगे व ताकतवर भूमाफिया को उक्त भूमि अन्तरण कर वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 को विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करेंगे, अगर प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 विवादग्रस्त भूमि से वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 को बेदखल करेंगे व ताकतवर भूमाफिया लोगो को विवादग्रस्त भूमि बेचान कर देंगे तो वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 और मुकदमेंबाजी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:11 IST
Reason: SelfAttested

19/12/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीमकाबाजार)

पड़कर बर्बाद हो जायेंगे, बिनाया दावा प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के द्वारा दिनांक 25.06.2010 को वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 के नाम खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने से इन्कार होने व बेदखल करने व विवादग्रस्त भूमि को अन्तरण करने व रहन रखने की धमकी देने के कारण अन्दर हद अदालत उत्पन्न होने से दावा पेश किया तथा अंत मे वादीगण ने प्रार्थना चाही की वादीगण का दावा प्रतिवादीगण के विपरीत इस आशय का डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 विवादग्रस्त भूमि पर खसरा नम्बर 1216, 1259 तन् हाथीदेह पर पिछले 49 वर्ष से बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चले आ रहे है। गिरदावरिया भी इनके नाम से दर्ज है व सरकारी लगान भी जमा कराते आ रहे है। इसलिए वादीगण नम्बर 1 से 6 विवादग्रस्त भूमि के 6/7 हिस्से के बहिस्सा बराबर व वादीगण नम्बर 7 व प्रतिवादी नम्बर 3, 1/7 हिस्से के बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार हो चुके है एवं प्रतिकब्जा के आधार पर उक्त हिस्सेनुसार खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है व प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के खातेदारी कानूनन समाप्त हो चुके है व प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 विवादग्रस्त भूमि का कब्जा भी वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 से कानूनन प्राप्त करन के अधिकारी नही है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे भूमि खसरा नम्बर 1216 व 1259 कुल किता 2 कुल रकबा 4.24 हैक्टर तन् हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान से वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 को बेदखल न करे, न कब्जा काश्त में मजाहमत करे, न दीगर से करवाये, न विवादग्रस्त भूमि का अन्तरण व रहन सम्बन्धी दस्तावेज प्रतिवादीगण नम्बर 4 से 14 से तस्दीक करवाये और न ही प्रतिवादीगण नम्बर 4 से 14 को ऐसा कोई दस्तावेज प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 व उनके प्रतिनिधि के द्वारा पेश किया जावे तो उसे तस्दीक न करे व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:11 IST
Reason: SelfAttested

18/12/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

प्रतिवादीगण नम्बर 4 व 5, 6 राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 5 के हित के विपरीत कोई परिवर्तन न करे।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की सम्मन तामील असालतन होकर लोटी हैं। जिसके पश्चात् प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 की ओर से एडवोकेट श्री विक्रम सिंह बार्कावत ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी नम्बर 2 के देहान्त हो जाने पर प्रतिवादी नम्बर 2/1 धन्नु कंवर को रिकार्ड पर लिया गया तथा वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण नम्बर 6 से 12 व 14 के विरूद्ध कार्यवाही विड्रा के निवेदन पर प्रतिवादीगण नम्बर 6 से 12 व 14 के विरूद्ध कार्यवाही विड्रा की गयी व प्रतिवादीगण नम्बर 15 व 16 को रिकार्ड पर लिया गया तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 1216 रकबा 3.52 है0 व 1259 रकबा 0.72 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.24 है0 तन हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर सम्पूर्णपर प्रतिवादीगण/उत्तरदातागण वक्त बुजुर्गान से खातेदार काश्तकार होकर उक्त भूमि पर निर्विघ्न रूप से एवं शांतिपूर्वक कृषि करते चले आ रहे है। जिसकी वतमन खातेदारी प्रतिवादीगण/उत्तरदातागण के मृतक पिता/पति नारायण सिंह के नाम अंकित चली आ रही है जिससे अन्य दीगर या किसी किश्म का हक सरोकार नही है। गणेशसिंह ने कभी भी उक्त आराजीयान को वादीगण को पिता लादूसिंह को बेचान नही किया तथा नही कोई रकम प्राप्त की तथा नही कोई लिखावट लिखी। यदि कोई लिखावट वादीगण पेश करते है [illegible] करके उक्त भूमि को फर्जी तरीके से साजिशन हड़पने [illegible] है। उक्त भूमि से वादीगण एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:11 IST
Reason: SelfAttested

19/12/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

प्रतिवादी नम्बर 3 का किसी किश्म का हक सरोकार नही है। उक्त भूमि की खातेदारी विधिवत् तरीके प्रतिवादीगण/उत्तरदातागण के मृतक पिता/पति नारायण सिंह के नाम अंकित हुई है। प्रतिवादीगण/उत्तरदातागण उक्त भूमि के सम्पूर्ण हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण/उत्तरदातागण उक्त भूमि के सम्पूर्ण कानूनी एवं खातेदारी अधिकारो का निर्विघ्न रूप से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, जिनको निरस्त करवाने का अधिकार वादीगण को किसी किश्म का नही है तथा जब वादीगण का उक्त भूमि पर किसी किश्म का कब्जा ही नही है तो उनको बेदखल करने की प्रक्रिया प्रतिवादीगण/उत्तरदातागण को जरूरत ही नही है। वादीगण ने विधि के प्रावधानो के विपरीत जाकर उक्त वाद पत्र पेश किया गया है तथा उक्त वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है तथा कानूनन भी काबिज व खातेदार व्यक्तियो के खिलाफ उद्घोषणा का वाद पत्र पेश नही किया जा सकता तथा ना ही उनको स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जा सकता तथा वादीगण को कोई अधिकार उक्त भूमियो को अपने नाम करवाने का नही है। प्रतिवादीगण/उत्तरदातागण को उक्त आराजीयान को उपयोग उपभोग करने, काश्त करने, रहन रखने, अन्तरण करने आदि के तमाम अधिकार कानूनन प्राप्त है जिससे वादीगण प्रतिवादीगण/उत्तदातागण को प्रतिबंधित नही करवा सकते है। प्रतिवादीगण/उत्तरदातागण उक्त भूमि के सम्पूर्ण कानूनी एवं खातेदारी अधिकारो का निर्विध्न रूप से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जिनको निरस्त करवाने का अधिकार वादीगण को किसी किश्म का नही है। वादीगण का वाद पत्र कानून लिमिटेशन से बा[illegible] किसी भी सुरत में चलने योग्य नही है। वादीगण ने विधि के प्रावधानो के विपरीत जाकर उक्त वाद पत्र पेश किया है तथा उक्त वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है तथा कानूनन भी काबिज व खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:11 IST
Reason: SelfAttested

19/1/23

व्यक्तियो के खिलाफ उद्घोषणा का वाद पत्र पेश नही किया जा सकता तथा ना ही उनको स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जा सकता तथा वादीगण को कोई अधिकार उक्त भूमियो को अपने नाम करवाने का नही है। वादीगण को कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ है तथा विधि के प्रावधानो के विपरीज जाकर पेश किया उक्त वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है।

इस प्रकरण से निम्नलिखित तनकी कायम की गई है :-

1. ग्राम हाथीदेह के साबिक खसरा नम्बर 638 रकबा 16 बीघा जिसके हाल नम्बर 1216 रकबा 3.52 हैक्टर, 1259 रकबा 0.72 हैक्टर में खातेदार फतेहसिंह के सम्वत 2016-17 में नाऔलाद फौत होने से उसका वारिस भाई गणेशसिंह हुआ।

----जिम्मे वादी

2. गणेशसिंह ने वादीगण के दादा लादूसिंह से 340/-रूपये पौष सुदी तीज सम्वत् 2018 को नकदी लेकर कब्जा रखा दिया जिस अनुसार बुजुर्गान से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 काबिज काश्त है।

----जिम्मे वादीगण

3. विवादित खसरान् की गिरदावरी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम बुजुर्गान से चली आ रही है तथा इसका लगान भी जयराम सिंह ने अदा किया है।

----जिम्मे वादीगण

4. बुजुर्गान से लगभग 49 वर्ष से विवादग्रस्त भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर वादीगण 6/7 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3, 1/7 हिस्सा अपने नाम पर खातेदारी घोषणा करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के अधिकारी है। ----जिम्मे वादीगण

5. प्रतिवादीगण वादी को विवादग्रस्त आराजियात से बेदखल करने का अधिकार खो चुके है। ----जिम्मेवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:41:01 IST
Reason: SelfAttested

19/12/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

6. विवादित आराजियात पर बुजुर्गान से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज काश्त है।

—जिम्मे प्रतिवादी 1,2

7. प्रतिवादीगण 1, 2 विधिक खातेदार होकर काबिज काश्त है। अतः उनके विरूद्ध बिना कब्जा सरोकार के आधार पर उद्घोषणा का दावा चलने योग्य नही है।

—जिम्मे प्रतिवादी

8. समुचित वादकारण के अभाव में दावा चलने योग्य नही है।

—जिम्मे वादी

9. वाद मियाद अवधि के बाहर होने के कारण चलने योग्य नही है।

—जिम्मे वादी

10. दादरसी

वादपत्र में अंकित तथ्यो के प्रमाणीकरण हेतु वादीगण की ओर से पी.डब्ल्यू. -1 जयराम सिंह, पी0डब्लयू-2 गंगासिंह, पी डब्लयू-3 छीतरसिंह के कथन लेखबद्ध करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श-1 लगायत 10 प्रदर्शित करवाया। प्रतिवादीगण की ओर से डी0डब्लयू0-1 ओमसिंह व डी0डब्लयू0-2 नरपतसिंह के बयान लेखबद्ध करवाये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रर्दशत् ए0-1 लगायत ए0-7 प्रदर्शित करवाया। वादीगण अधिवक्ता ने वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार उक्त भूमि का वादीगण को काबिज खातेदार घोषित किए जाने का व प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम हजफ किये जाने व प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा लिए गए बैंक लोन को प्रतिवादी नम्बर 1 की अन्य भूमि पर रहन दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया व अपनी बहस मे बताया कि वर्त[illegible] 6 रकबा 3.52 हैक्टर तन् ग्राम हाथीदेह पट[illegible] नम्बर 1259 रकबा 0.72 हैक्टर तन् ग्राम दौलतपुरा [illegible] हाथीदेह मे स्थित है जबकि पूर्व मे उक्त दोनो खसरा नम्बर 1216 व 1259 तन् ग्राम हाथीदेह मे ही थे व प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:11 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

नम्बर 1 व 2 द्वारा अपने जवाब दावा में अंकित तथ्यो की पुनरावृति करते हुये उक्त वादपत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उभय पक्षो की बहस सुनी गई पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत विधि विनिश्चिय का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, निर्मित तनकीयात का निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं :-

तनकी संख्या :- 1

तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था उपरोक्त के संदर्भ में अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के तथ्यो की पुनरावृत्ति करते हुये साक्ष्य पी0डब्लयू 1 लगायत पी डब्लयू 3 करवाये व तर्क रखा गया कि प्रतिवादी ओमसिंह के बयान डी0डब्लयू 1 में जिरह में ओमसिंह ने स्वीकार किया है कि फतेहसिंह की कोई औलाद नही थी वह नाऔलाद फौत हो गया था तथा स्पष्ट कथन किया है कि फतेहसिंह का वारिस गणेशसिंह ही था तथा गणेशसिंह के कोई बहन भी नही थी। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में बखुबी साबित है।

तनकी संख्या :- 2

तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार वादीगण पर था। उपरोक्त के संदर्भ में वादीगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क रखा गया कि प्रदर्श 1 बही की लिखावट व प्रदर्श ए0 1 जो बही लिखावट की [illegible] जिसमें गणेशसिंह द्वारा लादूसिंह से 340/-रूपये पौष सुदी तीन संवत [illegible] नगदी लेकर कब्जा कराने बाबत लिखापढ़ी है। जिस पर गणेश सिंह की [illegible] निशानी है। प्रतिवादी के जवाब दावे में लिखावट को इंकार किया है व लिखावट कुटरचना करके उक्त भूमि को फर्जी

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:11 IST
Reason: SelfAttested

12/1/21
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तरीके से साजिशन् हड़पने की बदनियति से तैयार करना बताया है परन्तु प्रतिवादी द्वारा उक्त लिखावट को लेकर वादीगण के विरुद्ध कोई सिविल व फौजदारी कार्यवाही की हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। उपरोक्त स्थिति में प्रदर्श एक साबित है तथा इस तनकी के संबंध में पी0डब्लयू 1 जयराम सिंह व पड़ौसी खातेदार पी डब्लयू 2 गंगासिंह, पी0 डब्लयू 3 छीतरसिंह ने साक्ष्य दिये तथा इन तीनो के द्वारा प्रदर्श 1 लिखावट लिखे जाने का व भूमि पर वादीगण का कब्जा होने का तथ्य बताया है जिस पर गणेशसिंह की अंगुठा निशानी है, जिनमें से वादी के अलावा गंगासिंह व छीतरसिंह परीक्षित हुवे है और इन्होने इस लिखावट को लिखे जाने की पुष्टि की है।

इसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से ओमसिंह व नरपत सिंह परीक्षित हुवे है। जिनमें ओमसिंह द्वारा लिखावट को फर्जी बताया गया है जबकि नरपतसिंह ने कहा है कि मैं नही बता सका की गणेशसिंह ने उक्त भूमि को किसी को बेचान की है या नही व गवाह नरपतसिंह उक्त विवादित भूमि कौनसी दिशा में है इस बाबत भी नही बता सका है तथा प्रतिवादीगण व उसके साक्ष्यो में भी आपस में विरोधाभास है व प्रविवादी ओमसिंह भी बताता है कि उक्त भूमि पर ना तो कोई निर्माण किया हुआ है ना ही कोई बिजली का कनैक्शन है ना ही प्रतिवादी ओम सिंह यह बता पाया है कि उक्त भूमि की बुवाई किससे करवाई है ना ही किस व्यक्ति से फसल निकलवाई है उसका नाम बता सका, उपरोक्त स्थिति में तनकी संख्या 2 का निष्कर्ष वादीगण के पक्ष में तय किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:11 IST
Reason: Self Attested

तनकी संख्या 3, 4, 5

तनकी संख्या 3, 4, 5 [illegible] से अन्तग्रस्त होने से सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एक साथ किया [illegible] है। इन तनकीयात को साबित करने

Rathore
19/12/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

का भार वादीगण का था। इस संबंध में वादीगण ने प्रदर्श 1 लिखावट व प्रदर्श 10 लिखावट का हिन्दी अनुवाद व लगान रसीदे प्रदर्श 6, 7, 8 पेश की है व गिरदावरिया प्रदर्श 9 पेश की है। जिसमें प्रदर्श 1 में भी कब्जा देने बाबत उल्लेख है व प्रदर्श 6, 7, 8 लगान रसीदे है जिसमें लगान वादीगण द्वारा दिया जाना साबित होता है व गिरदावरी भी वादीगण के नाम होने से वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा होना भी साबित होता है, जिसके सम्बन्ध से वादीगण साक्ष्य में वादी जयराम पी0डब्लयू 1 व पी0डब्लयू 2 गंगासिंह व पी0डब्लयू 3 छीतर सिंह ने वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 का उक्त भूमि पर काबिज होना व लगान भी वादीगण द्वारा जमा करवाया होना बताया है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 2 द्वारा यह तथ्य रखा गया कि गिरदावरिया फर्जी है व उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा नही है। जबकि प्रतिवादी डी0डब्लयू 1 ओम सिंह द्वारा लगान रसीदे अपनी माँ के पास होना बताया लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा लगान रसीदे प्रस्तुत नही की गई है तथा प्रतिवादीगण का साक्ष्य डी0डब्लयू 2 नरपतसिंह भी स्पष्ट कहता है कि उसे पता नही है कि उक्त भूमि का लगान कोन जमा करवाता आ रहा है व गवाह विक्रम सिंह जिरह हेतू ही उपस्थित नही आया है, जबकि वादी पक्ष के गवाह पी0डब्लयू 2 व पी0डब्लयू 3 भूमि के पड़ौसी खातेदार है व वादीगण ने दस्तोवजी साक्ष्य प्रदर्श 1, प्रदर्श 6 लगायत 10 से साबित किया है कि उक्त विवादित भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है तथा वादीगण के द्वारा ही उक्त भूमि का लगान जमा करवाया गया है तथा उक्त भूमि की गिरदावरी भी वादीगण के पूर्वजो के नाम से है तथा वादीगण संवत् 2018 से लगातार उक्त भूमि पर र्निविवाद रूप से काबिज चले आ रहे है तथा वादीगण लगभग 60 वर्षो से भी अधिक समय से उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है जिस पर प्रतिवादीगण [illegible] ता 2 द्वारा कभी कोई ऐतराज नही किया गया है। इस कारण प्रतिवादीगण [illegible] 2 वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 को बेदखल करने का अधिकार भी [illegible] चूके है। अतः तनकी संख्या 3, 4, 5 वादीगण के पक्ष में तय किये जाने योग्य है।

Rathore
12/1/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:11 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 6 व 7 :-

तनकी संख्या 6 व 7 एक दूसरे से अन्तर्ग्रस्त होने से सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है, तनकी संख्या 6 व 7 को साबित करने का भार प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 पर था, जिसके समर्थन में प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 ने दस्तावेज प्रदर्श ए0 1 लगायत प्रदर्श ए07 प्रदर्शित करवाया गया व प्रतिवादी ओम सिंह, गवाह विक्रम सिंह व नरपत सिंह के साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये गये परन्तु जिरह हेतू विक्रम सिंह उपस्थित नही हुआ तथा प्रतिवादीगण 1 ता 2 के समर्थन में आया गवाह डी0डब्ल्यू 2 को उक्त भूमि किस दिशा में अवस्थित है, इसकी जानकारी भी नही है तथा उक्त गवाह डी0डब्ल्यू 2 नरपतसिंह विवादित भूमि से लगभग 1-1/2 कि0मी0 की दूरी पर रहता है तथा वर्ष 1973 से पहले उक्त भूमि से क्या हुआ, इस बाबत भी बताने से इंकार किया तथा यह भी नही बता सकता की उक्त भूमि को गणेशसिंह ने किसी को बेचान किया है या नही तथा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विवादित भूमि के किसी भी पड़ौसी खातेदार काश्तकार के बयान न्यायालय में नही करवाये है जो उक्त भूमि पर कब्जे की वास्तविक स्थिति बताने में सक्षम थे जबकि वादीगण द्वारा उक्त भूमि के पड़ौसी खातेदार के बयानात् करवाये है व उन्होने उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा होना बताया है व लगान रसीदे व गिरदावरी व लिखावट प्रदर्श 1 भी वादीगण के पक्ष में साबित होने से उक्त तनकी संख्या [illegible] प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है तथा उक्त भूमि पर वादीगण [illegible] साबित होने से तनकी संख्या 7 भी प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के विरूद्ध [illegible] जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:11 IST
Reason: SelfAttested

19/12/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तनकी संख्या 8 व 9 :-

तनकी संख्या 8 व 9 स्वंय एक दूसरे से अन्तग्रस्त होने से सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। इन तनकीयात को साबित करने का भार वादीगण पर था, उपरोक्त के सन्दर्भ में वादीगण का तर्क रहा है कि वादपत्र की मद नम्बर 10 में वादकारण का स्पष्ट उल्लेख है तया वादकारण उत्पन्न होने के अन्दर मियाद ही उक्त वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। कानूनन वादकारण उत्पन्न होने से 3 वर्ष के भीतर-भीतर वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। उक्त प्रकरण में वादी हाजा दिनांक 25.06.2010 को वादकारण उत्पन्न होना बताया है व वादकारण उत्पन्न होने के 3 वर्ष के भीतर ही उक्त वादपत्र पेश किया गया है। तनकी नम्बर 8 व 9 का निष्कर्ष वादीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन से वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

-: क्रियात्मक आदेश :-

वादीगण जयराम वगै0 की ओर से प्रस्तुत वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण ओमसिंह वगै0 बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तया तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि भूमि खसरा नम्बर 1216, 1259 तन् ग्राम हाथीदेह के नवीन ग्राम राजस्व ग्राम के भूमि खसरा नम्बर 1216 रकबा 3.52 है0 तन ग्राम हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर का वादीगण न[illegible]6 को 6/7 हिस्से का व वादी नम्बर 7 व प्रतिवादी नम्बर 3 को [illegible] काबिज खातेदार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम उक्त [illegible] से हजफ किया जाकर उसके द्वारा दौराने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:11 IST
Reason: SelfAttested

19/12/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दावा लिये गये बैंक लोन को रहनमुक्त कर उसके हिस्से की अन्य भूमि पर दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है व भूमि खसरा नम्बर 1259 रकबा 9.72 है0 तन ग्राम दौलतपुर पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर का वादीगण नम्बर 1 ता 6 को 6/7 हिस्से का व वादी नम्बर 7 व प्रतिवादी नम्बर 3 को 1/7 हिस्से का काबिज खातेदार घोषित किया जाता हैं व प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम उक्त भूमि से हजफ किया जाकर उसके द्वारा दौराने दावा लिये गये बैंक लोन को रहनमुक्त कर उसके हिस्से की अन्य भूमि पर दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे भूमि खसरा नम्बर 1216 तन ग्राम हाथीदेह पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर व खसरा नम्बर 1259 तन ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर से वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 को बेदखल न करे, ना ही कब्जा काश्त में मजाहमत करे, ना ही दीगर से करवाये तथा भूमिधारी तहसीलदार को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तद्अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

19/12/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (श्रीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 19.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/12/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (श्रीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:11 IST
Reason: SelfAttested